भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3488

उत्तर देने की तारीख : 10.08.2023

अल्पसंख्यक संस्थाओं में बुनियादी सुविधाएं

3488. श्री ए. राजा:

श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं में मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि और सुदृढ़ीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में निर्मित/उन्नमन किए गए स्कूल भवनों, छात्रावासों, आईटीआई और कौशल केंद्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) तमिलनाडु राज्य के विशेष संदर्भ में उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत पृथक रूप से कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है।

केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS), प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जिसके तहत अभिज्ञात क्षेत्रों में सामुदायिक ढांचा और मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षा और कौशल विकास, प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल हैं और इस योजना के तहत स्कूलों, आवासीय स्कूलों, अतिरिक्त कक्षाओं, छात्रावासों, कंप्यूटर

लैब/डिजिटल कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्कूलों में शौचालयों तथा पेयजल की सुविधाओं, आईटीआई/पॉलिटेक्निक, आईटीआई में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे, कौशल केंद्रों का निर्माण आदि जैसी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (UT) प्रशासनों के तत्वावधान में फंड शेयरिंग पैटर्न पर कार्यान्वित की जा रही है और इनका कार्यान्वयन और प्रबंधन, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों में कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से मंजूरी दे दी गई है।

पिछले तीन वर्षों में अर्थात 2020-21 से 2022-23 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमजेवीके के तहत कुल 38 स्कूल भवन, 11 आवासीय विद्यालय, 51 छात्रावास, आईटीआई में 8 अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और 9 कौशल केंद्रों को मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु राज्य के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के तहत 634.19 करोड़ रुपये की लागत की कुल 66 बुनियादी ढांचा इकाइयां स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 7.21 करोड़ रुपये की लागत से स्कूलों में 11 अतिरिक्त कक्षाएं; 2.40 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई में 1 अतिरिक्त बुनियादी ढांचा और 3.60 करोड़ रुपये की लागत से 1 कौशल केंद्र शामिल हैं।

*****